



LOS ANGELES काउंटी रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउंटी क्लर्क

चेतावनी: चुनाव प्रचार करना वर्जित है! उल्लंघन करने पर जुर्माना और/या कारावास हो सकता है

कहाँ:

- मतदान करने के लिए कतार में खड़े किसी व्यक्ति के तत्काल आसपास या मतदान स्थल के प्रवेश द्वार, स्थलेतर मतदान या डालने का बक्स (ड्रॉप बॉक्स) के 100 फीट के भीतर में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।

कौन सी गतिविधियां वर्जित हैं:

- किसी व्यक्ति से किसी भी उम्मीदवार या मतपत्र विधेयक के पक्ष या उसके खिलाफ मतदान करने के लिए न कहें।
- किसी उम्मीदवार का नाम, उनकी छवि या प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित न करें।
- किसी भी मतपत्र डालने का बक्स (ड्रॉप बॉक्स) के पास पहुंच को अवरुद्ध या उसके पास आवारागर्दी न करें।
- किसी भी उम्मीदवार या मतपत्र विधेयक के पक्ष में या उसके खिलाफ किसी भी मतदान स्थल, मतदान केंद्र, या मतपत्र डालने का बक्स (ड्रॉप बॉक्स) के पास कोई सामग्री या श्रव्य जानकारी प्रदान न करें।
- किसी पहल, जनमत संग्रह, वापस बुलाने, या उम्मीदवार के नामांकन सहित किसी भी याचिका को प्रसारित न करें।
- किसी भी उम्मीदवार का नाम, छवि, प्रतीक चिन्ह, और/या किसी भी उम्मीदवार या मतपत्र विधेयक का समर्थन या विरोध करने वाले किसी भी तरह के कपड़े (टोपी, शर्ट, संकेत, बटन, स्टिकर) को वितरित, प्रदर्शित या पहनें नहीं।
- किसी भी मतदाता की मतदान करने की पात्रता के बारे में जानकारी प्रदर्शित न करें या उसके बारे में किसी मतदाता से बात न करें।
- ऊपर संक्षेप में दिए गए चुनाव प्रचार निषेध कैलिफोर्निया चुनाव संहिता के खंड 18 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 7 में निर्धारित हैं।



LOS ANGELES काउंटी रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउंटी क्लर्क

चेतावनी: मतदान प्रक्रिया को बिगाड़ना वर्जित है! उल्लंघन करने पर जुर्माना और/या कारावास हो सकता है

कौन सी गतिविधियाँ वर्जित हैं:

- चुनाव में धोखाधड़ी न करें और न ही करने का प्रयास करें।
- किसी व्यक्ति को मतदान देने या मतदान देने से रोकने के लिए किसी भी तरह से या किसी भी तरह से प्रेरित या प्रेरित करने का प्रयास करने के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा या रिश्वत प्रदान न करें।
- अवैध रूप से मतदान न करें।
- मतदान देने का अधिकार न होने पर मतदान देने का प्रयास न करें या किसी अन्य को मतदान करने में सहायता न करें।
- चुनाव प्रचार में शामिल न हों; मतदान स्थल में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले मतदाता की तस्वीर या रिकॉर्ड; या प्रवेश, निकास, या पार्किंग में बाधा डालना।
- किसी व्यक्ति के मतदान के अधिकार को चुनौती न दें या मतदाताओं को मतदान करने से रोकें; मतदान की प्रक्रिया में देरी; या किसी व्यक्ति को कपटपूर्वक यह सलाह देना कि वह मतदान देने के योग्य नहीं है या मतदान के लिए पंजीकृत नहीं है।
- यह पता लगाने का प्रयास न करें कि किसी मतदाता ने अपने मतपत्र पर कैसे मतदान दिया।
- कुछ अपवादों को छोड़कर, मतदान स्थल के तत्काल आसपास के क्षेत्र में खुद बन्दूक रखना या किसी के पास रखने की व्यवस्था न करें।
- कुछ अपवादों को छोड़कर, मतदान स्थल के तत्काल आसपास किसी शांति अधिकारी, पहरेदार, या सुरक्षा कर्मियों की वर्दी में किसी को उपस्थित होने की व्यवस्था न करें या खुद प्रकट न हों।
- मतदान प्रणाली के किसी भी घटक के साथ छेड़छाड़ या हस्तक्षेप न करें।
- चुनाव के विवरणियों की जाली नकल, नकली या छेड़छाड़ न करें।
- चुनाव के विवरणियों में बदलाव न करें।
- किसी भी मतदान सूची, आधिकारिक मतपत्र, या मतपत्र पाल के साथ छेड़छाड़, नष्ट या परिवर्तन न करें।
- किसी भी अनौपचारिक मतपत्र संग्रह पाल को प्रदर्शित न करें जो किसी मतदाता को यह विश्वास करने के लिए धोखा दे सकता है कि यह एक आधिकारिक संग्रह बक्स है।
- डाले गए मतों के परिणामों की प्रति के साथ छेड़छाड़ या हस्तक्षेप न करें।
- किसी ऐसे व्यक्ति को जो पढ़ नहीं सकते या किसी बुजुर्ग को किसी उम्मीदवार या विधेयक के पक्ष या विपक्ष में उनके इरादे के विपरीत मतदान करने के लिए मजबूर या धोखा न दें।
- किसी मतदान अधिकारी के तौर पर कार्यवाही न करें जबकी आप वह नहीं हैं।
- नियोक्ता अपने कर्मचारी को काम पर डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र लाने के लिए कह नहीं सकते या अपने कर्मचारी से काम पर अपने मतपत्र पर मतदान देने के लिए कह नहीं सकते। वेतन या मजदूरी के भुगतान के समय, नियोक्ता ऐसी सामग्री को संलग्न नहीं कर सकते हैं जो उनके कर्मचारी की राजनीतिक राय या कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं।
- चुनाव उपक्षेत्र समिति के सदस्य यह निर्धारित करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं कि किसी मतदाता ने अपने मतपत्र को कैसे मतदान दिया या, यदि उस जानकारी का पता चलता है, तो यह प्रकट करें कि एक मतदाता ने अपने मतपत्र पर कैसे मतदान दिया।
- ऊपर संक्षेप में दी गई मतदान प्रक्रिया भ्रष्टाचार से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध कैलिफोर्निया चुनाव संहिता के खंड 18 के अध्याय 6 में निर्धारित किए गए हैं।